

INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttar Pradesh



e-Stamp

Certificate No

Certificate issued Date

Account Reference

Unique Doc. Reference

Purchased by

Description of Document

Property Description

Consideration Price (Rs.)

First Party

Second Party

Stamp Duty Paid By

Stamp Duty Amount(Rs.)

IN-UP04020247393790V

02 Sep 2024 04:18 PM

NEWIMPACC (SV) ud14123954-BULANDSHAHAR-UP-BLS

SUBIN-UPUP1412390403685187986221V

HIMANSHU SHARMA AND DEEPIKA GUPTA

Article 4 Affidavit

Not Applicable

HIMANSHU SHARMA AND DEEPIKA GUPTA

Not Applicable

HIMANSHU SHARMA AND DEEPIKA GUPTA

100

(One Hundred only)



(पारूप - "अ")

सत्र 2023-24 में नवस्थापित की जाने वाली डिप्लोमा इन फार्मसी संस्थाओं की सोसाइटी / ट्रस्ट के अध्यक्ष और सचिव द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले नोटेरी शपथ-पत्र

हम हिमाशु शर्मा एवं दीपिका गुप्ता क्रमशः अध्यक्ष एवं सचिव श्री लक्ष्मी एजुकेशनल सोसाइटी 1/521 वसुंधरा गाजियाबाद 201012 शपथपूर्वक निम्नवत बयान करते हैं-

1. यह है कि हमारी श्री लक्ष्मी एजुकेशनल सोसाइटी 1/521, वसुंधरा गाजियाबाद -201012 इस संस्था एच. एम. एस. कॉलेज ऑफ फार्मसी नामक डिप्लोमा इन फार्मसी संस्थान कि स्थापना सत्र 2023-24 के किये जाना प्रस्तुत है -

2 यह कि हमारे सोसाइटी के नाम ग्राम रूपवास पंचगाई में गाटा संख्या 243, 242, 248/1053 एवं 241 रकबा क्रमशः 0.113, 0.5410, 0.1530, 0.0643 एवं (कुल रकबा 0.8713 हेक्टेयर) भूमि है।

3. यह कि उपरोक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई भी वाद किसी भी न्यायालय में नहीं चल रहा है, और भूमि विवाद रहित है।

4. यह कि उपरोक्त पते पर सोसाइटी के नाम उपलब्ध भूमि के गाटा संख्या 243, 242, 248/1053 एवं 241 म रकबा क्रमशः 0.113, 0.5410 एवं 0.1530, 0.0643 हेक्टेयर ( कुल रकबा 0.8713 हेक्टेयर ) पर उपरोक्त नाम की डिप्लोमा इन फार्मसी संस्थान की स्थापना किये जाने का प्रस्ताव सोसाइटी की बैठक दिनांक द्वारा पारित किया गया है।

5. यह कि, उपरोक्त भूमि पर ही प्रश्नगत डिप्लोमा इन फार्मसी संस्थान के संचालन हेतु भवनों का निर्माण अनुमोदित नक्शे के अनुशार किया गया है।

6. यह कि, निरीक्षण समिति के समक्ष उपरोक्त पते पर सोसाइटी / ट्रस्ट के नाम भूमि एवं उस पर निर्मित एवं निर्धारित भवनों के ही निरीक्षण समिति के समक्ष निरीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया है।

7. यह कि, इस भूमि एवं इस पर निर्मित भवनों पर फार्मसी कॉउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के नियमों के अंतर्गत ही डिप्लोमा इन फार्मसी संस्थान का ही संचालन किया जायेगा।

8 यह कि इस सभ्यता में फार्मैसी कॉन्डिशनल ऑफ इंडिया नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद में सम्बद्ध पाठ्यक्रम एवं प्रवेश परीक्षा के अनुसार ही पाठ्यक्रम में प्रवेशित पढ़ाना किया जायेगा।

9 यह कि उपरोक्त भूमि व इस पर निर्मित भवनो में फार्मैसी कॉन्डिशनल ऑफ इंडिया नई दिल्ली व अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद १०५० लखनऊ में सम्बद्ध संस्था एवं पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त किसी अन्य परिषद विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित। सम्बद्ध कोई संस्था संस्थान। महाविद्यालय आई. टी. आई. आई. आई. का संचालन न तो पूर्व में कभी किया गया है और न ही भविष्य में कभी किया जायेगा।

10 यह कि संस्थान के संचालन हेतु आवश्यक क्लास रूम प्रयोगशालाओं एवं कार्यशालाओं आदि को फार्मैसी कॉन्डिशनल ऑफ इंडिया नई दिल्ली एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद के मानकों के अनुसार ही सुसज्जित किया जायेगा।

11 यह कि संस्था के संचालन हेतु आवश्यक शैक्षिक एवं अशैक्षिक स्टाफ कि तैनाती सोसाइटी द्वारा सब प्रारम्भ के पूर्व कर लिया जायेगा।

12 यह कि शासन / परिषद }kjk निर्गत नईश्री / आदेशों का अतीव्रति पालन करेगा यदि मेरे संस्थान में किसी भी समय स्थलीय निरीक्षण में मानकानुसार कोई भी कमी पायी जाती है तो परिषद कि निरीक्षण एवं सम्बद्धता समिति }kjk लिया गया निर्णय अतिम होगा एवं मुझे मान्य होगा इस हेतु मेरे द्वारा कोई विधिक कार्यवाही नहीं कि जाएगी।

13 मैं घोषणा करता / करती हूँ कि मेरे }kjk दी गयी उपरोक्त सूचनामेरी निजी जानकारी में पूर्ण रूप में सत्य है यदि दी गयी जानकारी एवं अभिलेख / दस्तावेज फर्जी / कूटचित अथवा त्रुटिपूर्ण पाए जाते हैं तो मेरे विरुद्ध परिषद द्वारा नियमानुसार कानून समत कार्यवाही कि जा सकेगी ऐसी कि गयी विधिक कार्यवाही हेतु मैं स्वयं उत्तरदायी होऊंगा।

H. सचिव 

  
H. सचिव



ATTESTED SIGNATURE  
R.D. SHARMA

संस्था का  
R.D. SHARMA  
संस्था का